



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 30.08.2023

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला इमामबाड़ा में दो पक्षों में हुए झगड़े में वांछित 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी-डण्डे बरामद।

आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा दो पक्षों में हुए झगड़े में वांछित 04 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त लाठी-डण्डे सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। झगड़े में वांछित अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 30.08.2023 को थाना कैराना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला इमामबाड़ा के पास दो पक्ष आपस में एक दूसरे पर हमला करते हुए जाने लेने पर उतारू है। थाना कैराना पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर मौजूद लोगों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दो पक्षों में शराब पीने को लेकर आपस में झगडा हो गया था जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से हमला कर रहे थे तथा घटना स्थल पर पुलिस को देखकर दोनों पक्षों के अभियुक्तगण भागने लगे। थाना कैराना पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगणों 1.शब्बीर, 2.महफूज कुरैशी, 3.इनायतस, 4.मोबीन को गिरफ्तार कर थाना कैराना पर मु0अ0स0 450/2023 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 7 CLA ACT पंजीकृत किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1- शब्बीर पुत्र यूसुफ निवासी मौहल्ला सिदरयान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
- 2- महफूज कुरैशी पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला सिदरयान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
- 3- इनायत पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला सलारियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।
- 4- मोबीन पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला सलारियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

दोनों पक्षों द्वारा घटना में प्रयुक्त 04 लाठी-डण्डे व ईंट पत्थर।

आपराधिक इतिहास शब्बीर उपरोक्त-

- 1.मु0अ0स0 312/2004 धारा 307/324/452 भादवि व 3(1)(10) एस.सी.एस.टी.एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.मु0अ0स0 42/2008 धारा 323/324/452/504/506 भादवि, थाना कैराना, जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 125/2020 धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, थाना कैराना जनपद शामली।
- 4.मु0अ0सं0 537/2017 धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, थाना कैराना जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 676/2022 धारा 147/148/308/323/324/452/504/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उप निरीक्षक श्री राकेश कुमार, थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.उप निरीक्षक श्री सतीश प्रकाश, थाना कैराना, जनपद शामली।
- 3.का0 944 कंवरपाल, थाना कैराना जनपद शामली।
- 4.का0 1153 अभिषेक, थाना कैराना, जनपद शामली।
- 5.का0 1110 अजय कुमार, थाना कैराना, जनपद शामली।
- 6.का0 440 अनिल कुमार, थाना कैराना, जनपद शामली।
- 7.का0 117 विवेक कुमार, थाना कैराना, जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत मौहल्ला इमामबाड़ा में दो पक्षों में हुए झगड़े में वांछित 01 और अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह मय जिन्दा व खोखा कारतूस बरामद ।

आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा दो पक्षों में हुए झगड़े में वांछित 01 अन्य अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह अद्दा मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। झगड़े में वांछित अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 30.08.2023 को थाना कैराना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला इमामबाड़ा के पास दो पक्ष आपस में एक दूसरे पर हमला करते हुए जाने लेने पर उतारू है। थाना कैराना पुलिस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल पर मौजूद लोगों से जानकारी की गयी थी। दोनों पक्षों में शराब पीने को लेकर आपस में झगडा हो गया था जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को जान से मारने की नीयत से हमला कर रहे थे। जिसमें थाना कैराना पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर थाना कैराना पर मु0अ0स0 450/2023 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 7 CLA ACT पंजीकृत किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- साजिद पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला कुरैशियान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह अद्दा व 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 12 बोर।

आपराधिक इतिहास साजिद उपरोक्त-

1.मु0अ0स0 209/2004 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उप निरीक्षक कुलदीप सिंह थाना कैराना जनपद शामली
- 2.हे0का0 वरणकार थाना कैराना जनपद शामली
- 3.का0 इंजमामुलहक थाना कैराना जनपद शामली
- 4.का0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली



थाना कांधला पुलिस द्वारा अपहरण के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा दिनांक 28.08.2023 को ग्राम गढीश्याम से युवती को जबरन उठा ले जाने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 29.08.2023 को श्री सुभाष पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम श्यामगढी थाना कांधला जनपद शामली द्वारा उसकी पत्नी को 03 अभियुक्तगण द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर मु0अ0सं0 405/2023 धारा 366 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना कांधला पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2023 को अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.सोनू पुत्र अंग्रेज नि0 ग्राम खेडी मसानिया थाना उचाना जनपद जिन्द हरियाणा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 पवन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।

2.हे0का0 संजीव कुमार थाना कांधला जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दुकानो से मोबाईल चोरी करने वाले 02 शातिर मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुये 02 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद:-

आज दिनांक 30.08.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सामान लेने के बहाने दुकान पर जाकर मोबाईल चोरी करने वाले 02 शातिर मोबाइल चोरों को चोरी के 02 मोबाइल फोन (रीयलमी 9i व वीवोY35) व घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनांक 19.07.2023 को वादी श्री मनीष गोयल पुत्र श्यामलाल निवासी मौहल्ला रामसाला थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की दुकान से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाईल चोरी करने तथा वादी श्री गुफरान अंसारी पुत्र वसिक अहमद निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की दुकान से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोबाईल चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजैब सिंह पुत्र भुल्ला निवासी रमाना रमानी थाना तरावडी जनपद करनाल हरियाणा।
2. हरप्रीत कौर पुत्री कुलविन्दर निवासी मौहल्ला सम्भूकला थाना सम्भूकला जनपद पटियाला पंजाब।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी हुआ 01 मोबाइल फोन (रीयलमी 9i)
2. चोरी हुआ 01 मोबाइल फोन (वीवोY35)
3. घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल हीरो स्प्लैण्डर नं PB39K1042

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1. मु0अ0सं0 428/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 429/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रोहताश सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।
2. है0का0 सोहित थाना कोतवाली जनपद शामली।
3. का0 अनुज थाना कोतवाली जनपद शामली।
4. का0 सूर्यप्रताप थाना कोतवाली जनपद शामली।



जनपद शामली की साइबर सेल एवं थाना झिंझाना पर संचालित साइबर सेवा केन्द्र की त्वरित कार्यवाही के चलते सरकारी योजना का फाईल चार्ज बताकर की गई ठगी 1750/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस कराई गई-

दिनांक 23.08.2023 को सावन कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी कस्बा ऊन थाना झिंझाना शामली के द्वारा उनसे किसी फ्रॉड व्यक्ति द्वारा फर्जी कॉल के माध्यम से 1750/- रुपये की धनराशि डेबिट कर लेने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना साइबर सेवा केन्द्र पर शिकायती प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के निर्देशन में साइबर सेवा केन्द्र थाना झिंझाना एवं साइबर सेल शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए फ्राड व्यक्ति के बैंक अकाउंट को डेबिट फ्रीज कराते हुए पीडित की ठगी गई *सम्पूर्ण धनराशि 1750/- रुपये उनके खाते में वापस कराई गई।* श्री सावन कुमार उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शामली, साइबर सेवा केन्द्र थाना झिंझाना एवं साइबर सेल शामली का आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक संजीव भटनागर साइबर सेल जनपद शामली।
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास चौधरी साइबर सेल जनपद शामली।
3. का0 अर्चित कुमार साइबर सेल जनपद शामली।
4. का0 अनुज साइबर सेल जनपद शामली।

थाना झिंझाना साइबर टीम :-

- 1.थानाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.कम्प्यूटर आपरेटर यशवेन्द्र राजपूत थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.कम्प्यूटर आपरेटर विवेक कुमार राठी थाना झिंझाना जनपद शामली।

